

# Office of the Principal, Govt. Sr. Secondary School

## Salary and Deduction Detail for FY : 2020-2021

Post : Lecturer (L-13)  
SI No. 74XXX7

PAN : AAAAAAXXXXA  
GPF/Pran No: 84XXX8

TAN: AAAAXXXXA

Bank A/c : 51XXXXXX  
Mobile No. : 9XXXXXX

H.R.A.	Washing Allow.	ROP (If any, put the value in minus)	Other Allowance 1	Other Allowance 2	Gross Salary	Emp. C.Pen.F.	SI	SI ARREAR	SI LOAN + INT	RPF	LIC	Group Insurance Accidental	Income Tax / TDS	CM Corona Relief	GPF 2004	Hitkari Nidhi	Total Deduction	Net Payment
51,617	0	0	0	0	8,28,516	77,691	77,000	7,000	0	0	67,716	220	96,000	18,169	0	500	3,44,296	4,84,220
<b>EMPLOYEE CONTRIBUTION TOTAL</b>																		
																	0.00	0.00
																	0.00	0.00
																	0.00	0.00
																	0.00	0.00
																	0.00	0.00

वेर्यौ, आय/जमा राशि एवं छूट का विवरण

PAN- AAAAAXXXXA

0.00	19. स्टैण्डर्ड डिटेन्शन रूपये 50,000 (अधिकतम) धारा 16 (ia)	50,000.00
0.00	20. बचत खाते (Saving Accounts) की जमा राशि पर प्राप्त ब्याज	0.00
0.00	21. एफडी आदि अन्य जमा राशि पर प्राप्त कुल ब्याज (पीपीएफ को छोड़कर)	0.00
0.00	22. अन्य विभिन्न स्ट्रोत्र (ध्याज के अलावा) से कुल आय	0.00
0.00	23. धारा 80 सी के अन्तर्गत अन्य मद में जमा करायी गयी राशि	0.00
0.00	24. धारा 80CCC - पेंशन प्लान हेतु अंशदान (एन.पी.एस. के अलावा)	0.00
0.00	25. सरकारी पेंशन योजना में कर्मचारी का अंशदान अधिकतम धन का 10% धारा 80CCD(1)	77,691.00
0.00	26. धारा 80CCD(1B) नवीन पेंशन योजना में अतिरिक्त अंशदान (अधिकतम रु. 50,000)	0.00
0.00	27. धारा 80D - चिकित्सा बीमा प्रीमियम (सामान्य 25000, वरिष्ठ नागरिक 50000)	0.00
0.00	28. धारा 80DD- चिकित्सा अशक्ति के चिकित्सा उपचार(अधिकतम 75000, 80% विकलांगता 1250)	0.00
0.00	29. धारा 80DDB- विशिष्ट रोगों के उपचार हेतु कटौती (सामान्य 40000, वरिष्ठ नागरिक 1 लाख)	0.00
0.00	30. धारा 80E - उच्च शिक्षा हेतु लिए खर्च का ध्याज	0.00
0.00	31. धारा 80G - धर्मार्थ संस्थाओं आदि को दिये दान (क श्रेणी 100% एवं ख श्रेणी 50%)	18,169.00
0.00	32. धारा 80U - स्थाई शारीरिक विकलांगता (अधिकतम 75000, 80% विकलांगता 125000)	0.00
0.00	33. धारा 80 GGA - अनुमोदित वैज्ञानिक सामाजिक प्रामाण विकास हेतु दिया गया दान	0.00
0.00	34. राहत धारा 89 के अन्तर्गत	0.00
0.00	35. बतन बिल के अलावा जमा कराया गया आयकर (TDS)	0.00
0.00	36. धारा 10(14) के अन्तर्गत भत्ते जो करमुक्त है	0.00
0.00	Investable Amount = 0	

DEFAULT EMP. CONTRIBUTION

पहले 80सीसीडी1 की राशि को डिलीट / एडिट नहीं करें। पहले यह राशि 80सीसीडी1बी में ली गई छूट से अधिक रहे ताकि कम्प्यूटर पढ़ सके।

## भौतिकी, आय/जमा राशि एवं छूट का विवरण

3) PAN- AAAAAXXXXA		
0.00	19. स्टैंडर्ड डिडेन्शन रुपये 50,000 (अधिकतम) द्वारा 16 (ia)	50,000.00
0.00	20. बचत खाते (Saving Accounts) की जमा राशि पर प्राप्त व्याज	0.00
0.00	21. एफडी आदि अन्य जमा राशि पर प्राप्त कुल व्याज (पीपीएफ को छोड़कर)	0.00
0.00	22. अन्य विभिन्न स्त्रोत (व्याज के अलावा) से कुल आय	0.00
0.00	23. धारा 80 सी के अन्तर्गत अन्य मद में जमा करायी गयी राशि	0.00
0.00	24. धारा 80CCC - पेंशन प्लान हेतु अंशदान (एनपीएल के अलावा)	0.00
0.00	25. सरकारी पेंशन योजना में कर्मचारी का अंशदान जिनका वेतन का 10% धारा 80CCD(1)	77,691.00
0.00	26. धारा 80CCD(1B) नवीन पेंशन योजना में अतिरिक्त अंशदान (अधिकतम रु. 50,000)	50,000.00
0.00	27. धारा 80D - चिकित्सा बीमा प्रीमियम (सामान्य 25000, उचित नागरिक 50000)	0.00
0.00	28. धारा 80DD- विकलांग अभिलों के चिकित्सा उपचार/उपकरण 75000, 80% विकलांगता 1250	0.00
0.00	29. धारा 80DDB- विशिष्ट रोगों के उपचार हेतु कटौती (सामान्य 40000, उचित नागरिक 1 लाख)	0.00
0.00	30. धारा 80E - उच्च शिक्षा हेतु लिए ऋण का व्याज	0.00
0.00	31. धारा 80G - धर्मार्थ संस्थाओं आदि को दिये दान (क श्रेणी 100% एवं 2 श्रेणी 50%)	18,169.00
0.00	32. धारा 80U - स्वार्थ शारीरिक विकलांगता (अधिकतम 75000, 80% विकलांगता 125000)	0.00
0.00	33. धारा 80 GGA - अनुमोदित वैज्ञानिक सामाजिक प्रगति विकास हेतु दिया गया दान	0.00
0.00	34. राहत धारा 89 के अन्तर्गत	0.00
0.00	35. वेतन वित्त के अलावा जमा कराया गया आयकर (TDS)	0.00
0.00	36. धारा 10(14) के अन्तर्गत भत्ते जो करमुक्त है	0.00
Regime)	-70,447.00	
150000	Investable Amount = 0	

पहले **80CCD(1B)** में ली जाने वाली छूट की राशि भरें। यह 50000 या कम हो सकती है।

उदाहरण के लिए यहां 50000 रुपये की छूट ली गई है।

## तौतियाँ, आय/जमा राशि एवं छूट का विवरण

13) PAN- AAAAAXXXXA

0.00	19. स्टैण्डर्ड डिडेक्शन रुपये 50,000 (अधिकतम) द्वारा 16 (ia)	50,000.00
0.00	20. बचत खाते (Saving Accounts) की जमा राशि पर प्राप्त ब्याज	0.00
0.00	21. एफडी आदि अन्य जमा राशि पर प्राप्त कुल ब्याज (पीपीएफ को छोड़कर)	0.00
0.00	22. अन्य विभिन्न स्रोत (ब्याज के अलावा) से कुल आय	0.00
0.00	23. द्वारा 80 सी के अन्तर्गत अन्य मद में जमा करायी गयी राशि	0.00
0.00	24. द्वारा 80CCC - पेंशन प्लान हेतु अंशदान (एन.पी.एस. के अलावा)	0.00
0.00	25. सरकारी पेंशन योजना में कर्मचारी का अंशदान अधिकतम वेतन का 10% या 80CCD(1)	27,691.00
0.00	26. द्वारा 80CCD(1B) नवीन पेंशन योजना में अतिरिक्त अंशदान (अधिकतम रु. 50,000)	50,000.00
0.00	27. द्वारा 80D - चिकित्सा बीमा प्रीमियम (सामान्य 25000, बरिष्ठ नागरिक 50000)	0.00
0.00	28. द्वारा 80DD- विकलांग आश्रितों के चिकित्सा उपचार(अधिकतम 75000, 80% विकलांगता 1250	0.00
0.00	29. द्वारा 80DDB- विशिष्ट रोगों के उपचार हेतु कटौती (सामान्य 40000, बरिष्ठ नागरिक 1 लाख)	0.00
0.00	30. द्वारा 80E - उच्च शिक्षा हेतु लिए ऋण का ब्याज	0.00
0.00	31. द्वारा 80G - धर्मार्थ संस्कारों आदि को दिये दान (क श्रेणी 100% एवं ख श्रेणी 50%)	18,169.00
0.00	32. द्वारा 80U - स्थाई शारीरिक विकलांगता (अधिकतम 75000, 80% विकलांगता 125000)	0.00
0.00	33. द्वारा 80 GGA - अनुमोदित वैज्ञानिक, सामाजिक, ग्रामीण विकास हेतु दिया गया दान	0.00
0.00	34. राहत द्वारा 89 के अन्तर्गत	0.00
0.00	35. वेतन बिल के अलावा जमा कराया गया आयकर (IDS)	0.00
0.00	36. द्वारा 10(14) के अन्तर्गत भत्ते जो करमुक्त है	0.00

Regime) -70,447.00

- 150000 Investable Amount = 0

नीं, प्राध्यापक भौतिकी, रा.उ.मा.वि. टोडारायसिंह (टोक)

अब 80सीसीडी1बी में जितनी छूट ली गई है उतनी राशि 80सीसीडी1 में से कम करके लिखें। जैसे 50000 की छूट लेने पर 80सीसीडी1 में 77691 की जगह  $77691 - 50000 = 27691$  रुपये लिखेंगे।

G H I J K L M N O P Q R

<b>OC, 80CCC,80CCD (1)</b>					
रा 80CCE ) , (धारा 80CCD (2), के अलावा					
रु.	<b>84000.00</b>	(xi)	सरकारी पेंशन योजना में अंशदान ECPF अधिकतम वेतन का 10% धारा 80CCD(1)	रु.	<b>27691.00</b>
रु.	<b>67716.00</b>				
रु.	<b>0.00</b>	(xii)	पेंशन प्लान हेतु अंशदान (धारा 80CCC)	रु.	<b>0.00</b>
रु.	<b>0.00</b>	(xiii)	राष्ट्रीय बचत पत्र पर अदत ब्याज	रु.	<b>0.00</b>
रु.	<b>0.00</b>	(xiv)	टयूशन फीस	रु.	<b>0.00</b>
रु.	<b>0.00</b>	(xv)	इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम	रु.	<b>0.00</b>
रु.	<b>220.00</b>	(xvi)	स्थगित वार्षिकी (Deffered Annuity)	रु.	<b>0.00</b>
रु.	<b>0.00</b>	(xvii)	पी.एलआई. (PLI)	रु.	<b>0.00</b>
रु.	<b>0.00</b>	(xviii)	अन्य जमा राशि (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	रु.	<b>0.00</b>
राशि	<b>0.00</b>	(xix)	<b>योग ( i से xviii )</b>	रु.	<b>179627.00</b>
अधिकतम कटौती की राशि 1.50 लाख रुपए तक				रु.	<b>1,50,000.00</b>
द्वारा पेंशन अंशदान की राशि (अधिकतम वेतन का 10%) पृथक से छूट					<b>77,691.00</b>
पेंशन योजना में अतिरिक्त अंशदान (अधिकतम रु. 50,000)				रु.	<b>50,000.00</b>
<b>योग 11(A+B+C)</b>				रु.	<b>2,77,691.00</b>
(स्वयं/पति/पत्नी व बच्चों के लिए रु 25000, माता-पिता के लिए रु 25000, सीपिपर रिटायरमेंट रु 50000)				रु.	<b>0.00</b>
मेकित्सा उपचार (अधिकतम 75,000 तथा 80% या अधिक विकलांगता 125,000)				रु.	<b>0.00</b>



जाँच करें।

कार्मिक अंशदान रूपये 77691 दो भागों में स्प्लिट(विभक्त) हो चुका है।  
 80 CCD (1) Rs. 27691  
 80ccd(1B) Rs. 50000  
 Total = Rs. 77691

